



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-15

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 256798 दिनांक 29/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajendra Kumar Banthia S/o Panna Lal Banthia	पन्ना लाल बाठिया पुत्र मोती लाल बाठिया	30	216.66 SQ. YARD	Private	BANK OFFICERS CAMPUS-D Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा द्वारा निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफिसर्स कैम्पस डी के भूखण्ड संख्या डी-30 क्षेत्रफल 216.66 व.ग. की लीजडीड दिनांक 02.09.2008 को पन्ना लाल बाठिया पुत्र मोती लाल बाठिया के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का अपंजीकृत वसीयतनाम दिनांक 10.07.2007 को अपने पुत्र राजेन्द्र कुमार के हक में कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 26.01.2011 को मूल भूखण्ड स्वामी श्री पन्ना लाल बाठिया का निधन हो गया। उक्त आवेदक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

द्वारा शपथ पत्र में निम्न वारिसान बताये गये हैं। 1. राजेन्द्र कुमार बांठिया पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया 2. सम्पत मेहता पुत्री स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया 3. विमला सिंघी पुत्री स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया 4. इला कोचर पुत्री स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया 5. मधु जैन पुत्री स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया 6. शुभकरण बांठिया पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया 7. महेन्द्र कुमार बांठिया पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया 8. सुरेन्द्र कुमार बांठिया पुत्र स्व. श्री पन्ना लाल बांठिया है। आवेदक राजेन्द्र कुमार बांठिया द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Rajendra Kumar Banthia S/o Panna Lal Banthia को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप को राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।